

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़पीठासीन अधिकारी - तारा चन्द मीणा (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 108/2021 (GCMS 2021/467)	दायर दिनांक 12.11.2021	निर्णय दिनांक 01.12.2021
--	---------------------------	-----------------------------

**अनवान**

अरविन्द गर्ग पिता सुरेश चंद्र गर्ग निवासी 18, गर्ग मोहल्ला, नगरी, गांव  
नगरी, जिला चित्तौड़गढ़

**अपीलांत****बनाम**


लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़  
रेस्पोंडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**--:: निर्णय ::--**

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 09.09.2021 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./108/2021(सू.अ.)(01.12.2021) से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 01.12.2021 से पूर्व कमेंट्स/टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक से नियत दिनांक 01.12.2021 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर मौखिक रूप से अपना पक्ष रखा कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा जान-बुझकर उसके द्वारा चाही गई सूचनाएँ आदिनांक तक उपलब्ध नहीं कराई हैं अतः चाही गई सूचनाएँ दिलाने का आदेश प्रदान करावें। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2021/627 दिनांक 26.11.2021 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार है:-




५३  
(तारा चन्द मीणा)  
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी  
जिला कलक्टर  
चित्तौड़गढ़ (राज.)

1. यह कि प्रार्थी श्री अरविन्द पिता सुरेशचन्द्र गर्ग निवासी 18, गर्ग मौहल्ला, नगरी, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 13.09.2021 को इस कार्यालय में प्राप्त होना सही है।
2. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना के संबंध में प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, जिला कार्यालय चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/राजस्व/मूल/145 दिनांक 12.11.2021 से अवगत कराया गया है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना संबंधी पत्रावली/पत्र क्रमांक/दिनांक आदि का अंकन नहीं होने से सूचना तैयार किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। (पत्र की प्रति संलग्न है।)
3. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना के संबंध में स्पष्ट विवरण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2021/66 दिनांक 23.11.2021 से प्रार्थी को लिखा गया है जो प्राप्त होने पर ही संबंधित कार्यालय से सूचना तैयार करवाई जाकर उपलब्ध कराया जाना संभव है। (पत्र की प्रति संलग्न है।)
4. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना के संबंध में अवगत करा दिये जाने से वर्तमान में वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण प्राप्त होने तक इस प्रकरण पर इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती है।
5. अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य होने से अपील को निरस्त कराने का श्रम करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2021/627 दिनांक 26.11.2021 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2021/66 दिनांक 23.11.2021 से उसके द्वारा वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया, किन्तु अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी को उसके द्वारा वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया। इस पर हाजिर अपीलार्थी द्वारा अवगत कराया गया कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी को उसके द्वारा वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध करा दिया गया है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत कोई भी सूचना चाहने हेतु आवेदक को वांछित सूचना का पूर्ण एवं स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराना अनिवार्य है। अतः अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराने तथा अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रकरण में उसके द्वारा वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराने के पश्चात् अधीनस्थ लोक सूचना



  
 (तारा चन्द मीणा)  
 लोक सूचना अपीलार्थी प्राधिकारी  
 जिला कलक्टर  
 चित्तौड़गढ़ (राज.)

अधिकारी द्वारा नियमानुसार अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना तैयार कर अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध कराने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ एवं अपीलांत को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 01.12.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।



२३  
(सत्यमेव जयते)  
(A.S.)  
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,  
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)  
चित्तौड़गढ़ (राज.)